72

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 3021/दो/2012 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 31–7–2012 – पारित व्दारा – अपर कलेक्टर, जिला रीवा – प्रकरण कमांक 110/2009–10 अ–74 निगरानी

सत्यनारायण पुत्र वीरभान वर्मा
ग्राम पलिया 350 तहसील
मनगवॉ जिला रीवा, मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

रामप्रसाद पुत्र भारतप्रसाद ग्राम
पलिया 350 तहसील मनगवॉ
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक संतोष कुमार मिश्रा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री रामनिवास सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 10 – 07 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण कमांक 110/2009–10 अ–74 निगरानी **में पारित आदेश दिनांक 31-7-2012 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।**

2/ **प्रकरण का सारॉश यह है कि राजस्व निरीक्षक ने ग्राम पलिया की भूमि सर्वे कमांक 3/1क, 4/1, 9/1, 8/2 का दिनांक 25-8-09 का नक्शा तरमीम किया। राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये नक्शा तरमीम दिनांक 25-8-09 के विरूद्व अनावेदक ने** अपर कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष निगरानी

प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 110/2009—10 अ—74 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2012 से राजस्व निरीक्षक व्दारा किया गया नक्शा तरमीम निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार मनगवाँ को प्रकरण पुनः कार्यवाही करके नक्शा तरमीम करने वावत् निर्देश दिये। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह निर्विवाद है कि राजस्व निरीक्षक ने ग्राम पलिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3/1क, 4/1, 9/1, 8/2 का दिनांक 25-8-09 को नक्शा तरमीम किया है। विचार योग्य है कि क्या राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम करने के अधिकार प्राप्त है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम की शक्तियां तहसीलदार को प्रदान की गई है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 25-8-09 को नक्शा तरमीम वावत् की गई कार्यवाही अधिकारिता विहीन है जिसे अपर कलेक्टर, जिला रीवा आदेश दिनांक 31-7-2012 से निरस्त करने में त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 110/2009—10 अ—74 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर